प्रमाणित

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

वार्षिक रिपोर्ट (2018-2019)

सुषमा स्वराज भवन, डॉ जोस पी रिज़ल मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
दिल्ली - 110021
www.mea.gov.in/icm.htm
icm@mea.gov.in

विषय-सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
I	पृष्ठभूमि	3
II	संगम ज्ञापन	4
III	विशेषज्ञता के क्षेत्र	6
IV	शासी संरचना	6
V	वर्ष 2018-2019 में प्रारंभ की गई गतिविधियां	8
VI	आईसीएम 2018-19 में इंटर्नशिप कार्यक्रम	12
VII	वित्त और प्रशासनिक मुद्दे 2018-2019	12
VIII	शासी परिषद के सदस्य	14
IX	इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन में कर्मचारी	15
X	फोटो	16
XI	तुलन-पत्र	19

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

1. पृष्ठभूमि

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) एक पंजीकृत सोसायटी है, जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अंतर्गत स्थापित है और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय को एक स्वायत्त निकाय और चिंतक के रूप में कार्य करती है। आईसीएम की स्थापना जुलाई 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से की गई थी। यह केंद्र अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक और नीति संबंधी अनुसंधान करता है, और अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए परियोजनाएं करता है, ताकि सूचित नीति निर्माण का समर्थन किया जा सके और भारत के लोगों के अंतरराष्ट्रीय पारगमन के लिए सुसंगत और सुसंगत प्रतिक्रिया के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप सक्षम हो सके।

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन भारत में अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है जो विशेष रूप से प्रवासियों के कल्याण और संरक्षण सहित भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और शोध करने के लिए समर्पित है। यह केंद्र विदेश मंत्रालय का अनुदान-सहायता निकाय है और मंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने आईसीएम के वित्त वर्ष 2018-2019 के लेखों की प्रमाणन लेखा परीक्षा 11 से 24 फरवरी 2021 तक की थी।

2. संगम ज्ञापन

संगम ज्ञापन में आईसीएम के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए नियम और विनियम का प्रावधान है।

2.1 संगम ज्ञापन के अनुसार कार्य:

I. विदेशों में उभरते देश/क्षेत्र विशिष्ट रोजगार के अवसरों पर एक डाटाबेस बनाना और उसका रखरखाव करना।

II. व्यावसायिक निकायों और निजी क्षेत्र के परामर्श से कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

III. विदेशी श्रम बाजारों में श्रम आपूर्ति की खाई को चिन्हित करना और उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय कामगारों द्वारा अपेक्षित कौशल को चिन्हित करना।

IV. विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए पूर्व प्रस्थान अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू करना।

V. राज्य जनशक्ति विकास निगमों, परियोजना जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

VI. अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की प्रवृत्तियों और गतिशीलता, भारत और विदेशों में उत्प्रवासी भारतीय कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं, अन्य श्रम भेजने वाले देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को बेंचमार्क करने और नीतिगत पहलों/रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए शोध, निगरानी, विश्लेषण और समर्थन करना।

VII. इस उद्देश्य के लिए कल्याण निधि की संस्थागत व्यवस्थाओं सहित प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक कल्याण सहायता प्रदान करना।

2.2 संगम ज्ञापन के अनुसार मुख्य उद्देश्य

संभावित प्रवासी भारतीय कामगारों को निजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजगार सेवाओं के 'उपभोक्ता' के रूप में स्थापित करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों के साथ-साथ विभिन्न श्रम भेजने और प्राप्त करने वाले देशों की रणनीतियों की नियमित रूप से निगरानी, अध्ययन और विश्लेषण करना।

अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों पर शोध करना और भारतीय युवाओं के लिए उभरते विदेशी रोजगार के अवसरों को चिन्हित करना।

विशिष्ट राज्यों/देश और लेंगिकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को अनुकूलित करना।

भारत को कुशल, प्रशिक्षित और योग्य कामगारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में परिकल्पित करना।

एक श्रम आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और उसे बनाए रखना।

भारतीयों के विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक कार्यनीतियां बनाने और निष्पादित करने के लिए 'थिंक टैंक' के रूप में काम करना।

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक आधारित कल्याणकारी योजनाएं बनाना।

3. विशेषज्ञता के क्षेत्र

केंद्र प्रमुख कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित विशेषज्ञता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है::

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
- प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास और प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन और कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवासन नीति और प्रवासन का शासन
- प्रवासन प्रबंधन
- प्रवासन विप्रेषण और विकास
- महिला प्रवासी कामगार
- भारतीयों के लिए श्रम बाजार और संभावित अवसर
- सूचना प्रसार और जागरूकता अभियान
- विदेशों में भारतीयों के सुरक्षित, कानूनी और मानवीय प्रवास से संबंधित सभी मुद्दे
-

4. शासी संरचना

इस केंद्र में दो स्तरीय निकाय है जिसमें एक शासी निकाय और एक कार्यकारी निदेशालय है।

शासी निकाय के अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एंड ओआईए) हैं। अन्य पदेन सदस्य हैं –

1. सचिव, आर्थिक मामले विभाग (वित्त मंत्रालय),
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
3. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और
4. रोटेशन द्वारा तीन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव.
5. सरकार द्वारा बाहरी प्रत्याशियों के रूप में चार विशेषज्ञ.

कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी निदेशालय में सीईओ और कर्मचारी हैं। वर्तमान में संयुक्त सचिव (ओआईए-I) विदेश मंत्रालय, आईसीएम के सीईओ हैं।

शासी परिषद और कार्यकारी निदेशालय के अलावा, संगम ज्ञापन में शासी परिषद द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रभावी संचालन और कार्यान्वयन के लिए शोध/निगरानी, वित्त और प्रशासनिक समितियों का प्रावधान है।

4.1 शासी परिषद की बैठकें

आईसीएम की शासी परिषद् ने वित्त वर्ष 2018-19 में 8 (आठ) बैठक आयोजित की। बैठक की तिथियां और स्थल निम्नानुसार हैं :

बैठक	दिनांक	स्थल
I	04.09.2008	नई दिल्ली
II	04.02.2009	नई दिल्ली
III	18.10.2011	नई दिल्ली
IV	04.10.2012	नई दिल्ली
V	22.05.2015	नई दिल्ली
VI	04.12.2015	नई दिल्ली
VII	13.02.2017	नई दिल्ली
VIII	06.12.2018	नई दिल्ली

4.2 कर्मचारी

वर्तमान में आईसीएम में 2 कर्मचारी हैं । संगठन की आवश्यकतानुसार खुले बाजार से अनुबंध आधार पर इनकी भर्ती की जाती है। उन्हें एक या दो साल का अनुबंध दिया जाता है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकृत किया जाता है।

आईसीएम दो क्षेत्रों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और प्रवासी और प्रस्थान-पूर्वअभिविन्यास और प्रशिक्षण पर शोध में इंटर्न भी नियुक्त करता है।

5. वर्ष 2018-2019 में प्रारंभ की गई गतिविधियां

1. राज्य सरकारों और आईओएम के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर कार्यशालाएं।

आईसीएम ने राज्य सरकारों की एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर 7 टीओटी कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यों के अलावा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) अन्य तकनीकी साझेदार थे। वित्त वर्ष 2018-2019 में कुल 360 प्रशिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के

रूप में प्रमाणित किया गया था जो पीडोओ प्रशिक्षण देने के योग्य हैं। कार्यशालाओं की विस्तृत सूची तालिका 1 में देखी जा सकती है।

तालिका 1: प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यशाला

क्र.सं.	राज्य	शहर	कार्यशाला की तिथि	साझेदार [ओआईए-। प्रभाग का समग्र पर्यवेक्षण]	मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या (आईसीएम द्वारा प्रमाणित)
1.	राजस्थान	जयपुर	29-30 मई 2018	आईसीएम, आईओएम, आरएसएलडीसी	112
2.	पंजाब	चंडीगढ़	8-9 जून 2018	आईसीएम, आईओएम, पंजाब सरकार	68
3.	राजस्थान	जयपुर	28-30 अगस्त 2018	आईसीएम, आरएसएलडीसी	29
4.	बिहार	पटना	25-26 सितंबर 2018	आईसीएम, बिहार सरकार	36
5.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	26-27 नवंबर 2018	आईसीएम, पश्चिम बंगाल सरकार	41
6.	केरल	तिरुवनंतपुरम	11-12 दिसंबर 2018	आईसीएम, नोर्का विभाग	23
7.	तमिलनाडु	चेन्नई	21-22 फ़रवरी 2019	आईसीएम, एनआरटी कमिश्नरेट	51
				कुल	**360**

* आरएसएलडीसी- राजस्थान कौशल विकास निगम, आईओएम- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, नर्नका- अनिवासी केरलवासी मामले, एनआरटी- अनिवासी तमिल।

2. अकादमिक सम्मेलनों का प्रायोजन

आईसीएम ने अकादमिक संस्थानों को अनुदान जारी किया और 4-5 अक्टूबर 2018 को हैदराबाद विश्वविद्यालय में आयोजित 'भारतीय प्रवासी और अंतरराष्ट्रीयवाद: वैश्विक परिप्रेक्ष्य' पर सम्मेलन आयोजित करने में भागीदारी की।

3. शोध अध्ययन (घर में और आउटसोर्स में)

वित्त वर्ष 2018-19 में आईसीएम ने निम्नलिखित शोध अध्ययन किए:

भारत के घरेलू नौकरानी कामगार: भर्ती प्रथाओं का अध्ययन और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उनके उत्प्रवास के कारण: यह शोध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पांच जिलों में क्षेत्र यात्राओं के माध्यम से किया गया था और जून 2018 में पूरा किया गया था। शोध की कई प्रमुख नीतिगत सिफारिशें थी, जिनमें निम्नलिखित शामिल थी:

- महिलाओं के प्रवास पर व्यक्तिगत और लेंगिकता आधारित नियंत्रणों का उन्मूलन (ईसीआर पृष्ठांकन और 30 साल की आयु सीमा)
- प्रोत्साहित नैतिक भर्ती: टियर 1 नियोक्ताओं से आवेदनों के लिए प्राथमिकता प्रसंस्करण जो दिशानिर्देश, कम शुल्क, कर-ब्रेक और सब्सिडी का पालन करते हैं।
- कौशल विकास और प्रमाणन (राष्ट्रीय नीति, स्थानीय स्तर पर परिचालन)
- राज्य संचालित एजेंसियों के माध्यम से अल्पकालिक अस्थायी श्रम गतिशीलता को सुगम बनाने और काफला प्रायोजन प्रणाली से पृथक करने के लिए भारत और खाड़ी राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय प्रवासन साझेदारियां।
- औपचारिक प्रवासन बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में उप-एजेंटों को शामिल करना।
- देश विशिष्ट नियमावली और प्रशिक्षण।
- ईसीआर पासपोर्ट समाप्त करना और घरेलू कामगारों को कौशल प्रदान करना।
- भारतीय मिशनों में लेंगिकता डेस्क और महिला घरेलू कामगारों की जरूरतों और चिंताओं के कुशल समाधान के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को प्रशिक्षण।

4. प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास पर संदर्भ सामग्री

प्रवासी कामगारों के प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास और प्रशिक्षण को सुगम बनाने के उद्देश्य से आईसीएम ने निम्नलिखित संदर्भ सामग्री विकसित की –

क्र.सं.	मद	भाषा
1	पीडीओ (पुस्तक प्रपत्र) पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का मैनुअल (आईओएम के सहयोग से)	हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बंगाली हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बंगाली
2	पीडीओ पर हैंडबुक	हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, बंगाली
3	प्रवासी भारतीयों के कल्याण और संरक्षण पर पुस्तिका	तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी और मलयालम
4	महत्वाकांक्षी महिला घरेलू श्रमिकों पर पुस्तिका (संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से)	तेलुगु और अंग्रेजी
5	घरेलू कामगारों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास पर दो ऑडियो विज्ञापन	तेलुगु और अंग्रेजी
6	सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर पोस्टर (श्रमिकों और डीएसडब्ल्यूएस दोनों सामान्य श्रेणी के लिए)	अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु

5. प्रवासन और गतिशीलता पर साझा कार्यसूची पर यूरोपीय संघ के साथ तकनीकी सहयोग

भारत और यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के बीच प्रवासन और गतिशीलता (सीएडीएम) पर एक साझा कार्यसूची पर संयुक्त घोषणापत्र पर 29 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। सीएएमएम काफी हद तक दोनों पक्षों के लिए प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दे पर एक व्यापक और लचीला दृष्टि दस्तावेज है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर भारत-यूरोपीय संघ की उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) सीएडीएम के कार्यान्वयन के लिए एक समग्र संचालन तंत्र प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और ब्रसेल्स स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट (आईसीएमपीडी) यूरोपीय संघ की ओर से परियोजना के भागीदारों को लागू कर रहे हैं, जबकि भारत की ओर से इस परियोजना के लिए इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) कार्यान्वयन साझेदार है। तकनीकी सहायता परियोजना के लिए परियोजना सलाहकार समिति (पीएसी) की पहली बैठक 1 जून 2018 को हुई थी।

बैठक में प्राथमिकता के निम्नलिखित चार क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया:

यूरोपीय संघ (इटली, जर्मनी और आयरलैंड) में प्रवासी संबद्धता पर शोध

नियमित प्रवासियों के एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए एकीकरण पस्तिका

भारत और यूरोपीय संघ के हितधारकों को प्रवासन के शासन पर साझा करने /पशिक्षण का अनभत

इस गलियारे में श्रम की मांग/आपूर्ति गतिशीलता का आकलन करने के लिए भारत से यूरोपीय संघ में नियमित श्रम प्रवासन पर शोध

वित्त वर्ष 2018-2019 में सीएएमएम के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- कौशल की कमी और प्रतिभा गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ के नियोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य पर एक दिवसीय कार्यशाला।
- तकनीकी सहायता परियोजना की दृश्यता बढ़ाने के लिए जनवरी 2019 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में एक प्रदर्शनी स्टाल।

6. भावी कार्य-क्षेत्र

आईसीएम अग्रसर होते हुए खाड़ी देशों के लिए बाध्य प्रवासी कामगारों के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम और पीडीओ प्रदान करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। इसके अलावा, आईसीएम राज्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण में शामिल होने और इसके लिए हैंडबुक तैयार करने की योजना बना रहा है। आईसीएम विकसित बाजारों के लिए क्षेत्र विशिष्ट पीडीओ मॉड्यूल बनाने पर विचार कर रहा है। विदेश जाने वाले छात्रों के लिए संसाधन सामग्री/हैंडबुक का भी मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अकादमिक संस्थानों और प्रासंगिक हितधारकों के साथ अनुसंधान साझेदारी के साथ-साथ प्रवासन और विकास पर पैनल चर्चा और सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे।

6. आईसीएम 2018-19 में इंटर्नशिप कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2018-2019 में कार्यरत नौ इंटर्न में श्री आशीष प्रकाश, सुश्री सामा रफीक, सुश्री सुरभि दलाल, सुश्री मीनू राज, श्री वरुण देव मुदगिल, सुश्री काव्या श्रीवास्तव, सुश्री हीरालाल उपाध्याय, सुश्री ओजस्वी गोयल और श्री अमन दीप सिंह थे।

7. वित्त और प्रशासनिक मुद्दे 2018-19

1. मुख्य आयोजित बैठकें

आईसीएम की वित्त समिति की 5वीं बैठक 27 सितंबर 2018 को हुई थी और शासी परिषद् की 8वीं बैठक 6 दिसंबर 2018 को हुई थी, जिसमें निर्देश और गतिविधियों का पालन किया जाना था।

2. वित्त वर्ष 2018-2019 के लेखों का समेकन

मेसर्स एंटीमा एंड गोयल को 22 मई, 2015 को हुई शासी परिषद की 5वीं बैठक के दौरान तीन वर्ष की अवधि के लिए इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) के लेखों के संकलक के रूप में नियुक्त किया गया था। सीए फर्म ने वित्त वर्ष 2018-19 की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली है, और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

3. एफसीआरए पंजीकरण

आईसीएम को 1 दिसंबर 2016 को एफसीआरए (2010) के तहत पंजीकरण # 231661660 सहित पंजीकरण प्राप्त हुआ है। पंजीकरण पांच वर्ष के लिए मान्य है। आईसीएम को वित्तीय वर्ष के दौरान सिंडिकेट बैंक, अकबर भवन शाखा, नई दिल्ली के साथ नामित/अनन्य बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

4. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान

आईसीएम, विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित एक अनुदान-सहायता निकाय है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कोई निधि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि आईसीएम के पास प्रतिबद्ध परियोजनाओं के पिछले आवंटनों से निधियों उपलब्ध थी।

वित्त वर्ष 2018-19 का प्राप्तियां और भुगतान लेखा निम्नानुसार है:

प्राप्तियां/ आय	*राशि (रु.)*	***भुगतान/ व्यय***	*राशि (रु.)*
अनुदान- सहायता	*0*	*जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अग्रिम*	*73,140*
बैंक ब्याज आईसीएम लेखा : **आईसीएम लेखा :** ***19,07,862*** ***ईयू लेखा :*** ***6,13,780*** ***ओटीएफ लेखा :*** ***138***	*25,21,810*	*सीडीएस को अग्रिम*	*2,79,620*
अन्य आय	*-*	*जेएमजी एंड एसोसिएट्स*	*58,320*
उप कुल	***25,21,810***	*टीडीएस*	*2,51,631*
		Fixed Assets	*6,73,594*
		कर्मचारियों को वेतन	*20,11,200*
		इंटर्न को वजीफा	*10,53,161*
		वाहन किराया शुल्क	*3,35,156*
		मंत्रालय कार्यक्रम	*3,35,468*
		भर्ती और विज्ञापन खर्च	*33,986*
		जीसी बैठक व्यय	*2,31,216*
		प्रवासी भारतीय दिवस 2019	*17,05,731*
		आउटसोर्स कर्मचारी	*2,49,651*
		प्रस्थान- पूर्व अभिविन्यास	*8,90,408*
		मुद्रण और स्टेशनरी	*2,42,847*
		विविध खर्च	*1,33,697*
		मरम्मत और रखरखाव	*15,753*
		यात्रा खर्च	*3,98,918*
		संस्थानों को अनुदान	*2,61,983*
		उप- कुल	***92,35,480***

बैंक ***आईसीएम लेखा : 5,00,80,067*** ***ईयू लेखा : 1,51,16,271*** ***ओटीएफ लेखा : 3,212*** ***नकद : 2,957***	*6,52,02,507*	***बैंक*** ***आईसीएम लेखा 4,27,52,175*** ***ईयू लेखा : 1,57,29,933*** ***ओटीएफ लेखा: 3,380*** ***नकद : 3,350***	*5,84,88,837*
कुल	***6,77,24,317***	*कुल*	***6,77,24,317***

8. शासी परिषद के सदस्य 2018-19

पदेन सदस्य

मनोनीत विशेषज्ञ

1. श्री श्याम के जी परांडे, महासचिव, एआरएसपी (नई दिल्ली)
2. डॉ. बी.आर.शेट्टी, सीईओ, एनएमसी हेल्थकेयर एंड यूएई एक्सचेंज (अबू धाबी)

डॉ. प्रदीप कुमार सरमाह, अशोका लेमेलसन फेलो एंड ईडी, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, (नई दिल्ली)

4. श्री खांडेराव काण्ड, वरिष्ठ निदेशक, ओरेकल (अमेरिका)
5. श्री खंडेराव कांड, वरिष्ठ निदेशक, ओरेकल (अमेरिका)

2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार या प्रतिनिधि
3. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार या प्रतिनिधि

9. इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन में कर्मचारी

1.	**डॉ. टी.एल.एस. भास्कर**	**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**
2.	सुश्री मधु थरेजा	लेखा अधिकारी
3.	श्री आशीष प्रकाश	इंटर्न
4.	सुश्री सामा रफीक	इंटर्न
5.	श्री सुरभि दलाल	इंटर्न
6.	सुश्री मीनू राज	इंटर्न
7.	श्री वरुण देव मुदगिल	इंटर्न
8.	श्री काव्या श्रीवास्तव	इंटर्न
9.	सुश्री हीरालाल उपाध्याय	इंटर्न
10.	सुश्री ओजस्वी गोयल	इंटर्न
11.	श्री अमन दीप सिंह	इंटर्न
12.	स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक (पी) लिमिटेड	कार्यालय परिचर

10. फोटो

वित्त वर्ष 2018-2019 में आयोजित टीओटी कार्यशालाओं की छवियां

जयपुर में पीडीओ प्रशिक्षण का आयोजन, 29-30 अगस्त 2018

तिरुवनंतपुरम, 11-12 दिसंबर 2018, पीडीओ प्रशिक्षण

चंडीगढ़ में पीडीओ प्रशिक्षण आयोजित, **8-9** जून **2018**

कोलकाता में पीडीओ प्रशिक्षण आयोजित, **26-27** नवंबर **2018**

विभिन्न भाषाओं में विकसित प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास (पीडीओ) पर हैंडबुक की छवियां

11. तुलन-पत्र

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन								
प्रवासी भारतीय केंद्र, डॉ रिज़ल मार्ग								
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021								
31-मार्च-2019 को तुलन-पत्र								
	विवरण	**टिप्पणी संख्या**		***31-मार्च-2019* को**		***31-मार्च-2018* को**		
I.	**निधियों के स्रोत**							
1	**कॉर्पस निधि**			24,69,964	24,69,964	24,69,964	24,69,964	
2	**अनुदान**							
	अनुदान सहायता	1		6,10,64,370	6,10,64,370	6,73,81,868	6,73,81,868	
3	**चालू देयताएं**							

	(क) अन्य **चालू देयताएं**	2		1,21,977		1,44,235		
	(ग) प्रतिभूति जमा			-	1,21,977	5,000	1,49,235	
	कुल				**6,36,56,311**		**7,00,01,067**	
II.	निधियों का अनुप्रयोग							
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**							
	(क) अचल **परिसंपत्तियां**	3		16,38,325		13,24,030		
	संलग्न सूची के अनुसार							
	(ख) ऋण और अग्रिम	4		32,88,368		32,33,748		
	(ग) जमा	5		2,40,781	51,67,474	2,40,781	47,98,559	
2	**चालू परिसंपत्तियां**							
	(क) नकद और बैंक शेष	6		5,84,88,837	5,84,88,837	6,52,02,508	6,52,02,508	
	कुल				**6,36,56,311**		**7,00,01,067**	